फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वादी केसुलाल विपक्षी नाथू

नाम मुकदमा 212 [illegible] पत्रावली संख्या 119/17 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	20/4/23 पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प [illegible] दिनांक 26/8/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर 'SDO' मावली 26/8/23 पत्रावली आज कैम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 18/8/23 को सहायक कलक्टर 'SDO' मावली 18/8/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप. / अधि. प्रार्थी द्वारा उप. होकर प्रार्थी फौत होने से प्रकरण में Not press किया। अतः प्रार्थी फौत होने एवं वारिस काबिज नहीं होने से प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्थल पर क्षेप किया जाता है। पत्रावली [illegible] सुनाई होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया सहायक कलक्टर (SDO) मावली	वादी / प्रार्थी का निधन हो गया है Not Press

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested